न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 326–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 11–11–13 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 1068/2011 12 अपील.

चंदनसिंह तनय स्व. बैजनाथ सिंह,
निवासी ग्राम धुंधुचिहाई, तह0 रामपुर बघेलान,
जिला सतना हाल मुकाम रामपुर 84,
तह0 रघुराजनगर, जिला सतना, म0प्र0 ---- आवेदक

विरूध्द

मु. कोशिल्याबाई पत्नी नामालुम पुत्री नामालुम
नि0 ग्राम धुंधुचिहाई, तह0 रामपुर बघेलान,
जिला सतना अनावेदक

श्री आर0डी0 कुशवाह, अभिभाषक – आवेदक
श्री वी0के0 पाण्डेय अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक २५-जुलाई, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के अपील प्रकरण कमांक 1068/2011 12 में पारित आदेश दिनांक 11 11 13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा धुंधुचिहाई की प्रश्नाधीन आराजी के अभिलिखित भूमिस्वामी काशीनाथ सिंह की मृत्यु होने पर अनावेदक कोशिल्याबाई व्दारा मृतक की पत्नी होने के आधार पर नामान्तरण

रीति रिवाज के अनुसार कभी विवाह काशीनाथ सिंह के साथ नही हुआ। कोशिल्याबाई का विवाह जबलपुर मे हुआ था जिसे उसने अपने बयान में स्वयं स्वीकार किया है। उनका तर्क है कि काशीनाथसिंह को प्रश्नाधीन भूमि वसीयत करने की अधिकारिता थी। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में यह कहा है कि जिस दिनांक 4–4–08 को वसीयतनामा निष्पादित किया जाना बताया जा रहा है उक्त दिनांक को काशीनाथ अपनी पत्नी कोशित्याबाई के साथ अपने चचेरे भाई मोतीलाल सिंह के निवास स्थान बिरला कालोनी सतना में था, इसलिये आवेदक के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। आवेदक काशीनाथ सिंह के जीवनकाल में कभी अपने भाई को देखने तक नहीं आया और न ही बोला चाला है, बल्कि पूरे समाज ने आवेदक चन्दनसिंह को दूसरी जाति की लड़की को भगा ले जाने के कारण जाति से वहिष्कृत कर दिया था। वसीयत के सभी साक्षी अनावेदक को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से रंजिशन झूठी गवाह दिये हैं तथा उनके व्दारा भी साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक वसीयतनामा प्रमाणित नहीं किया गया है। उनका लिखित तर्क में यह भी कहना है कि आवेदक ने कोशिल्याबाई को काशीनाथ की पत्नी होना स्वीकार नहीं किया है। अगर काशीनाथसिंह की कोशिल्याबाई पत्नी नहीं है तो काशीनाथ सिंह का एक मात्र वारिस चन्दनसिंह है, इसलिये चन्दनसिंह के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

6/ विचारण तहसील न्यायालय ने अपने आदेश मे साक्ष्य की विवेचना के पश्चात मृत काशीनाथसिंह व्दारा आवेदक चन्दनसिंह के पक्ष में निष्पादित वसीयत को वसीयत के गवाह की साक्ष्य से सिध्द होने संबंधी निष्कर्ष निकाला

ने वसीयत पर विचार किये बिना कोशिल्याबाई मृतक के साथ निवास करने के आधार पर उसे मृतक की पत्नी मानकर नामान्तरण आदेश देने में भूल की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 11–11–13 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 20–06–12 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार का आदेश दिनांक 27–11–2010 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर.